~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 10/2024 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हनुमानराम पुत्र चैनाराम जाति जाट, निवासी अर्जुन का तला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अणछी पत्नी रेवंताराम जाति जाट, निवासी अर्जुन का तला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा शिव 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 19.02.2026

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। साथ ही प्रतिवादीनी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार भूमि विभाजित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल नागड़दा के ग्राम अर्जुन का तला के खेत खसरा नम्बर 160, 161, 217, 221 रकबा क्रमशः 0.0486, 1.6349, 0.1538, 5.3661 हैक्टेयर तथा ग्राम डलानाडा के खेत खसरा नम्बर 344 रकबा 5.9003 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	हनुमानराम पुत्र चैनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	डलानाडा	344	5.9003	बा.दो.	–	हरा
		अर्जुन का तला	221	0.6516	बा.अ.	–	
			02	6.5519			
2	अणछी पत्नी रेवंताराम जाति जाट सा. देह खातेदार	अर्जुन का तला	160	0.0486	गै.मु.ढाणी	–	गुलाबी
			161	1.6349	बा.अ.	–	
			217	0.1538	बा.अ.	–	
			221	4.7145	बा.अ.	–	
			04	6.5518			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेगा। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.03.24 19:15:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)